(5)

संख्या सा-3-103/दस-908/89

प्रेषक,

आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 23 जुलाई, 1998।

विषयः- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन, प्रपत्रों के प्रेषण विषयक।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस-907-76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 एवं शासनादेश संख्या-सा-3-559/दस-89-908-89, दिनांक 25 फरवरी, 1989 तथा शासनादेश संख्या सा-3-688/दस-89-908-89, दिनांक 13 मार्च, 1989 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 906 (1) में यद्यपि यह प्राविधान किया गया था कि प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को अपने अधीनस्थ कार्यरत ऐसे सभी राजपत्रित तथा अराजपत्रित सरकारी सेवकों की सूचियां तैयार करवाकर जारी करा दें जो आगामी 24 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तथापि शासन की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कुछ विभागाध्यक्ष महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिसके कारण यह जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है कि अगले डेढ़-दो वर्षों में कितने सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने वाले हैं और ऐसे सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्र संबंधित प्राधिकारियों ने प्रेषित कर दिया है अथवा नहीं। चूंकि इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या सा-3-559/दस-89-908-89, दिनांक 25 फरवरी, 1989 में यह व्यवस्था की गयी थी कि सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु शासन के समस्त सचिव तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ एवं वरिष्ठ अधिकारी को जो अधिष्ठान कार्य देखता हो, पेंशन प्रपत्रों की मानीटरिंग करने हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे और उसकी सूचना वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 तथा पेंशन निदेशक को उपलब्ध करायेंगे। किन्तु शासन की जानकारी में यह बात लाई गयी है कि उक्त शासनादेशों की व्यवस्थाओं का अनुपालन कुछ विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है और निदेशक, पेंशन द्वारा इस संबंध में आयोजित बैठकों को नोडल अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। बैठकों में उनके द्वारा स्वयं भाग नहीं लिया जाता या तो वे अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजते हैं या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देते हैं जिससे मीटिंग का महत्व नष्ट हो जाता है। अतएव अनुरोध है कि पेंशन निदेशक द्वारा आयोजित बैठकों में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी स्वयं भाग लें, साथ ही सेवानिवृत्त लाभों के निस्तारण में प्राथमिकता दी जाये तथा इस संबंध में निर्गत शासनादेशों का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रभावी आवश्यक कार्यवाही की जाये।

भवदीय,
आलोक रंजन,
सचिव।

संख्या सा-3-103 (1)/दस-908-89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2-महालेखाकार लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3-निदेशक, पेंशन निदेशालय इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4-मुख्य लेखाधिकारी, उपभूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद्, लखनऊ।
5-मुख्य लेखाधिकारी एवं उप सचिव इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।
6-मुख्य लेखाधिकारी एवं उप सचिव विधान सभा सचिवालय, लखनऊ।
7-मुख्य लेखाधिकारी एवं उप सचिव विधान परिषद् सचिवालय, लखनऊ।
8-मुख्य लेखाधिकारी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
9-मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11-निदेशक वित्तीय प्रबंध शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 107 सा0 वित्त-31-10-98 -(1495)-2,000 प्रतियां (आफसेट)।